न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. हरजिया पिता उदा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. केसा पिता पीथा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. मांगू पिता पीथा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. माना पिता खरता जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. हींगला पिता खरता जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पूरा पिता चेना जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. लोगर पिता चोखला जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. नाथू पिता चोखला जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. उदा पिता नान जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत नाम जोड़ा गया)
5. देवा पिता खेमा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. लालू पिता मेघा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. नवला पिता रामा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. नन्दलाल पिता रामा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. किशनलाल पिता रामा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. रूपलाल पिता रामा जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

11. दला पिता चेना जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
12. मेघा पिता खरता जी रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
वल्लभनगर दि.30.06.2016 प्र.सं.55/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेश जणवा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 से 11

———::———

निर्णय दिनांक 09–03–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरतलाई में आराजी नंबर 508 रकबा 4 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। आराजी नंबर 508 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. की भूमि का ही विवादत है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/12, वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 5 से 10 का 1/40 हिस्सा, वादी संख्या 11 व 12 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/12 हिस्सा है। उक्त आराजी चाह के सटमा पक्षकारान की कृषि भूमियां स्थित होकर इसी आराजी चाह से पीवल होती है, किन्तु अभी 3 वर्षो से प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी करते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30–06–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर समस्त खातेदार को आपस में एक दूसरे के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–01–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से वकील नरेश जणवा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28–12–2016 को हुई। तत्पश्चात वकील से मिलकर तुरन्त अपील पेश कर दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उदा पिता नानजी रावत बतौर वादी था, लेकिन टाईपिंग में गलत से उसका नाम छूट गया है। अतः उदा पिता नानजी रावत को बतौर पक्षकार जोड़ा जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उदा पिता नानजी अधिनस्थ न्यायालय में वादी संख्या 5 था, किन्तु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील मीमों में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 टाईप होना रह गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उदा पिता नानजी का नाम सहवन से छूटा है। अतः न्यायहित में उक्त आदेवन स्वीकार किया जाकर उदा पिता नानजी को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति लिखकर वाद डिक्री किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जबकि वास्तविकता यह है कि न तो अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे, न ही उन्हें सुना गया एवं बिना पक्षकारान की सहमति से वाद डिक्री कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

गया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उचित बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित आराजी चाह नंबर 508 रकबा 4 बिस्वा पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त खातेदारों को आपस में एक दूसरे के उपयोग–उपभोग में रूकावट नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

हरजिया पिता उदा रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **पूरा पिता चेना रावत, निवासी बोरतलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**8/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** ..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**03**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री विजय कुमार ओस्तवाल** ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरेश जणवा** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**03**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested